(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू

गजानन्द वगै0 बनाम रामदेव वगै0

किस्म मुकदमा–प्रार्थना पत्र 177 राज.टी.एक्ट

प्रकरण संख्या 02 सन् 2025

2025/152

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर, तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
17.04.2025	पत्रावली पेश हुई। प्रस्तुतीकरण पर प्रार्थना पत्र 177 की ग्राहियता व स्थगन प्रार्थना पत्र पर ग्रार्थी अभिभाषक को सुना गया। प्रार्थना पत्र 177 व संलग्न स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकतरफा बहस करते हुए अभिभाषक प्रार्थी ने अवगत कराया की भूमि आराजी ख0न0 833 रकबा 0.3414 हैक्ट. भूमि वाक ग्राम अनवरपुरा खेडा में स्थित है। जिसके प्रार्थीगण एकमात्र खातेदार काश्तकार है एवं शांतिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण की भूमि के अडवा पश्चिमी ओर प्रतिवादीगण के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 832 स्थित है। प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी से प्रतिपक्षीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। प्रतिपक्षीगण लडाकू व झगडालू व्यक्ति होने के कारण प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में मेड की तारबंदी में प्रवेश कर जबरन मौके पर पुख्ता निर्माण करना चाहते है तथा वादीगण के कब्जेकाश्त में मजामहत करने पर आमादा है। इस कारण अप्रार्थीगण द्वारा अवैध निर्माण भूमि ख0न0 832 एवं प्रार्थीगण की भूमि ख0न0 833 में अवैधानिक कब्जा कर निर्माण कार्य नही करे। अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0न0 832 को बिना संपरितर्वन कराये कृषि भूमि से अकृषि भूमि के प्रयोजन में लेने एवं उपयोग, उपभोग करने के कारण उक्त आराजीयात को सिवायचक भूमि घोषित किया जावे एवं उक्त भूमि पर आगे निर्माण कार्य को रूकवाया जावे एवं रहन, दान, बेचान हेतु पाबन्द किया जावे। प्रकरण में प्रस्तुत प्रा0पत्र का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न जमाबंदी संवत् 2077 अनुसार ग्राम अनवरपुरा खेडा के ख0न0 833 में गजानन्द पुत्र श्रीलाल हि. 1/2, छोटूलाल पुत्र श्रीलाल हि. 1/2 सा.देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि भूमि ख0न0 832 के अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा न0 832 को बिना संपरितर्वन कराये कृषि भूमि से अकृषि भूमि के प्रयोजन	

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

में लेने एवं उपयोग, उपभोग करने के कारण उक्त आराजीयात को सिवायचक भूमि घोषित किये जाने हेतु निवेदन किया है। जबकी प्रार्थीगण विवादित भूमि के लिए हितबद्ध पक्षकार होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थीगण ख0न0 832 के खातेदार भी दर्ज रिकॉर्ड नहीं है। अतः काश्तकारी अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत भी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विधिसंगत प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थना पत्र की विषयवस्तु में यह भी उल्लेख नहीं है कि काश्तकारी अधिनियम धारा 177 के तहत् प्रार्थीगण कों अधिनियम द्वारा कौनसे अधिकार प्रदत्त है। काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रतिपक्षीगण की भूमि आराजी ख0न0 832 को सिवायचक घोषित करवाने अथवा प्रतिपक्षीगण/खातेदार को निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिती में प्रकरण प्रथम दृष्ट्या विधि विरूद्ध होने के आधार पर सुनवाई हेतु ग्राह्य नहीं है। वैसे भी विवादित आराजीयात को लेकर एक अन्य वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा मय प्रार्थना अस्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय हाजा में जेरकार है। उक्त प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 28.03.2023 को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर प्रतिपक्षीगण को पाबन्द किया गया है की वे भूमि आराजी ख0न0 833 में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में मजामहत व मदाखलत नही करे तथा निर्माण कार्य नही करे। जो आदिनांक तक बदस्तुर जारी है। साथ ही प्रतिपक्षीगण के खातेदारी अधिकार निर्वापित करवाने का अधिकार प्रार्थीगण को नही है। क्योकि वादी/प्रार्थी ख0न0 832 के हितबद्ध पक्षकार/खातेदार काश्तकार नही है। प्रार्थी जेरकार प्रकरण बउनवानी गजानन्द वगै0 बनाम रामदेव वगै0 प्रकरण संख्या 26/2023 वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ग्राह्य योग्य नही होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने के आधार पर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं दफ्तर दाखिल हो।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner